(12) 259

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 (×3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. /2016

रूचिता अगनिहोत्री पुत्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, निवासी राजनगर तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

-----आवेदिका

श्री अमित भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 4-7-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. अशोक जैन पुत्र कुवंरलाल जैन द्वारा मुख्त्यारआम सुभाष चन्द्र कोचेटा पुत्र केवल चंद्र कोचेटा, निवासी साकिन खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. मोहनलाल कोरी पुत्र खिलैया कोरी, निवासी साकिन खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.) ---अनावेदकगण

A. Bhargava 4-7-16

अमित भार्गव (अधि.)

न्यायलय माननीय श्री एम.के. सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 1519-3/05 में पारित आदेश दिनांक 04/06/2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, ग्राम खजुराहो में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1841 रकबा 6.13 एकड़ अनावेदक क्रमांक 2 के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी इसमें से अनावेदक क्रमांक 2 के पिता ने 1.15 एकड़ भूमि लक्ष्मणदास गुप्ता तथा 2.25 एकड़ भूमि अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय की थी शेष रकबा 2.73 एकड़ भूमि अनावेदक क्रमांक 2 के पास थी।

2. यहकि, उपर्युक्त विक्रय पत्रो के आधार पर सन् 1974-75 में

XXXIX(a)-BR(H)-11 (27

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....रिव्यू-2200-I/16.....जिला ....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.2.17	1. आवेदक की ओर से अधिवक्ता आर.डी. शर्मा उपस्थित अनावेदक क.1 की ओर से अधिवक्ता अशोक भार्गव अनावेदक क.2 की ओर से अधिवक्ता डी.के.पासी एवं शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया यह पुनर्विलोकन आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1519–तीन/05 में पारित आदेश दिनांक 04/06/2013 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2. आवेदक क. 1 की ओर से तर्क में कहा गया है कि कि आवेदिक द्वारा अनावेदक क.2 के स्वत्व और अधिपत्य की भूमि खसरा नं. 1841/3 रकवा 1.80 हे0 में रकवा 0.080 हे0 रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.05.2015 के अनुसार क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसके नामांतरण हेतु प्रकरण विचाराधीन होने पर अनावेदक क्र.1 द्वारा आपत्ति एवं सम्मानीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर यह पुनःविचार याचिका प्रस्तुत की गई है। उन्होंने तर्क दिया है कि अनावेदक क्र.1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध व्यवहारवाद दायर किया था जिसका सिविल वाद क.06ए/2003 आदेश दिनांक 01–07–06 निराकृत किए जाने पर अपील जिला न्यायधीश छतरपुर व्यवहारवाद क. 43 अ/06 आदेश दिनांक 28–06–2008 को निराकृत की जाकर अनावेदक क.1 अशोक जैन द्वारा प्रस्तुत व्यवहारवाद खारिज किए गए है। इस कारण व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निराकरण एवं अनावेदक क.2 के भूमि स्वामित्व की भूमि को आवेदिका	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

द्वारा कय किए जाने से आयुक्त सागर एवं इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.06.2013 को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।

3. अनावेदक क.1 की ओर से तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 1841 रकवा 3.37 एकड़ उत्तरवादी क.2 के दादा द्वारा विकय किए जाने पर उनके द्वारा कय की है खसरा नंबर 1841/3 अनावेदक क.2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से सांठगांठ कर अपीलार्थी के नामांतरण के पश्चात उक्त रकवा दर्ज कराया है जिसमें अनावेदक क.2 को न तो पक्षकार बनाया गया है न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। इस कारण धारा 113 के तहत प्रचलित आवेदन कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2002 विधि विरूद्ध होने से आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दि.21.06.2005 विधि सम्मत एवं न्यायोचित रूप से निराकृत किया गया है इसी के तहत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2013 विधि सम्मत होने से स्थिर रखते हुए यह पुनःविचार याचिका निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।

4. यह कि अनावेदक क.2 के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है कि आवेदिका को विधिवत रूप से खसरा क. 1841/3 रकवा 1.080 में से रकवा 0.080 हे0 भूमि का विकय किया है तथा उन्होने अनावेदक क1 को भूमि ख.नं. 1841/2 रकवा 0.906 हे0 की भूमि का विकय उनके पूर्वजों द्वारा किए जाने तथा उस पर उनका कब्जा होने में कोई आपत्ति नहीं की है शेष रकवा ख.नं. 1841/3 जो अनावेदक क.2 एवं आवेदिका के स्वत्व की भूमि होने से और इस खसरा नं. पर अनावेदक क.1 अशोक जैन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/अपील व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है। जिसका विवरण पारित आदेश के पैरा 8 एवं 9 में किया जाकर अनावेदक क.1 को इस भूमि का आवश्यक हितवद्ध पक्षकार न होने का उल्लेख किया है। इसी आधार पर उन्होंने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी का समर्थन करते हुए प्रस्तुत पुनः विचार याचिका स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।

5. मैंने आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश तथा प्रस्तुत दस्तावेज के प्ररिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पारित

(५)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....रिव्यू-2200-I/16..... जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश का अवलोकन किया। ग्राम खजुराहो में स्थित भूमि खसरा नं. 1841 रकवा 6.13 एकड़ अनावेदक क.2 के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि थी जिसमें से अनावेदक क.2 के पिता ने रकवा 1.15 एकड़ भूमि लक्षमन दास गुप्ता तथा 2.25 एकड़ भूमि अनावेदक क.1 को विकय की थी शेष रकवा 1.080 भूमि अनावेदक क.2 के पास शेष रही जो लिपकीय त्रुटिवश अभिलेख में दर्ज न होने से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने दिनांक 24.01.1998 को आदेश पारित करते हुए शेष रकवे में अनावेदक क.2 मोहनलाल का नाम दर्ज किया गया जिसकी अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होनें दिनांक 31.05.2002 को अपील निरस्त की इसके विरूद्ध अनावेदक क.1 द्वारा अपील आयुक्त सागर द्वारा स्वीकार किए जाने से निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसका निराकरण दिनांक 04.06.2013 को किया गया है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत पुनः विचार याचिका में व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपीलीय आदेश की प्रति मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई है। तथा अनावेदक क.2 की ओर से अनावेदक क.1 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र एवं उनके कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार अनावेदक क.1 का शेष भूमि में कोई भी हित निहित नहीं होता है। अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण का निराकरण तकनीकी त्रुटि निकालते हुए अनावेदक क.2 के ख.नं. 1841/3 रकवा 1.080 हे0 पर दर्ज किए जाने से अपील स्वीकार की है। जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्ष 1952–53 से 60–61 और 74–75 से 78–79 की प्रमाणित प्रतिलिपि में अनावेदक क.2 के दादा दलपतिया एवं तुलसिया	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

के नाम दर्ज होने और शेष रकवा 1.080हे0 पर नाम दर्ज करने में कोई वैधानिक त्रुटि की जाना नहीं पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचना एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह पुनः विचार याचिका स्वीकार की जाती है। तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 04–06–2013 तथा आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2005 निरस्त किए जाते है। तथा रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर आवेदिका के पक्ष में नामांतरण किए जाने के निर्देश विचारण न्यायालय तहसीलदार राजनगर को दिए जाते है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस किए जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य